

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर  
(पीठारीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)  
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत गंगासरा)

राजस्व आवेदन सं. 15 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम बनाम  
तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम निवासी बांधनिया, द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत मय दरतावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का गंगासरा, राजस्व गांव गंगासरा के खाता संख्या 137 के खसरा संख्या 351 रकबा 2.2258 हैक्टेयर किरम बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2073-76, में उनका नाम हनुमान पुत्र श्री पावू राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम हनुमान पुत्र श्री पावू के स्थान पर हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम है इस तरह उनका नाम हनुमान पुत्र श्री पावू के स्थान पर हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक 25.09.2025 की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम का पटवार हल्का गंगासरा, राजस्व गांव गंगासरा के खाता संख्या 137 के खसरा संख्या 351 रकबा 2.2258 हैक्टेयर किरम बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् 2073-76, में प्रार्थी का नाम हनुमान पुत्र श्री पावू के स्थान पर हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा अतः राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी 15 दिनों में पालना इस न्यायालय को प्रस्तुत करने सुनिश्चित करे।



(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)

पीठारीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
(SDO) सेड़वा  
सहायक कलक्टर सेड़वा

दिनांक : 13/10/2026

क्रमांक:- A2-A4-

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी हनुमान राम पुत्र श्री पावू राम निवासी बांधनिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

